

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

कमांक 4/रा0ब0सहा0नि0/सेल-2/2017/
प्रति,

भोपाल,दिनांक 28/11/2017

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषय:- राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत राज्य बाहर स्थित होप हॉस्पिटल नागपुर को दी गई मान्यता निरस्त करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि होप हॉस्पिटल नागपुर को दिए गए प्रमाण पत्र को National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) नई दिल्ली द्वारा वापस लिया गया है, (force withdrawl by NABH)

अतः होप हॉस्पिटल नागपुर को म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि के आदेश कमांक 4/रा.बी.स. नि./सेल-2/2017/369 दिनांक 31.07.2017 द्वारा दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

पृ.क. 4/रा0ब0सहा0नि0/सेल-2/2017/ 559

संचालक (रा0बी0सहा0नि0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/11/2017

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, होप हॉस्पिटल, प्लॉट न. 2, गो गैस के पीछे, टाका नाक, काम्पटी रोड, नागपुर-440017 (महाराष्ट्र)।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संचालक (रा0बी0सहा0नि0)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.